140/2017

तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय अफिशियल्स जजा | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

27/10/2?

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। विप्रार्थी एकपक्षीय। प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौराने बहस निवेदन किया कि प्रार्थी की ओर से विवादित आराजी के संबध में वाद अन्तार्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया है,जिसमें प्रार्थी को सफलता मिलने की संभावना है। प्रार्थी की सहखातेदारी भूमि ग्राम नेहरूनगर तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा की खसरा संख्या 1114 रकबा 14.8924 हैक्टयर भूमि अवस्थित है। विवादित आराजी सहखातेदारी में अवस्थित होने के कारण विप्रार्थी आए दिन प्रार्थी की कब्जाशुदा भूमि में दखलदान्जी करते रहते है,इस कारण प्रार्थी की ओर से बंटवाड़ा का वाद पेश किया है। प्रार्थी की ओर से विवादित आराजी पर स्थगन आदेश जारी करने का हस्तगत प्रकरण पेश किया गया,जिसमें बाद सुनवाई श्री न्यायालय द्वारा विवादित आराजी पर स्थगन आदेश पारित किया गया है,जिसे मूलवाद के निर्णय तक यथावत रखा जाना आवश्यक है,क्योकि विप्रार्थी द्वारा आए दिन प्रार्थी के कब्जा–काश्त मे फेरबदल करने पर उतारू रहता है। अंत में निवेदन किया कि श्री न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश को मूलवाद के निर्णय तक कन्फर्म किया जावें।

हमनें प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड एवं संलग्न दस्तावेजात का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि ग्राम नेहरूनगर तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा की खसरा संख्या 1114 रकबा 14.8924 हैक्टयर भूमि प्रार्थी व विप्रार्थी की सह–खातेदारी में अवस्थित है। प्रार्थी की ओर से विवादित आराजी में माफिक हिस्सानुसार बंटवाड़ा करवानें का वांछित अनुतोष चाहा गया है,जो कि मूलवाद में साक्ष्य सबूतो के आधार पर तय होगा कि प्रार्थी राहत प्राप्त करने का हकदार है अथवा नहीं। लेकिन प्रथम द्रष्यता मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में बनता है,क्योकि विवादित आराजी का विधिवत बंटवाड़ा नहीं रखा है,यदि दौराने विचारण वाद विवादित आराजी को लेकर पक्षकारान के बीच वाद–विवाद हो जाता है,तो प्रकरण को निस्तारण किए जाने में कानूनी पेचीदिगीया बढेगी तथा अपूरणीय क्षति का बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में बनता है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

सहायक कलक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

उपरोक्त विवेचन के उपरांत न्यायालय हाजा इस नतीजे पर पंहुचा है कि प्रथम द्रष्यता मामला,सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति तीनो ही बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में बनते है।

लिहाजा प्रार्थी का आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सावित होने के कारण न्यायालय हाजा द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 26.5.2023 को मूलवाद के निर्णय तक कन्फर्म किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा